नागरिक विविध

न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला के समक्ष

छोटेलाल पटवारी,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि,-प्रतिवादी।

1968 की सिविल रिट संख्या 72

31 जनवरी 1972.

पंजाब राजस्व पटवारियों, तृतीय श्रेणी सेवा नियम (1966) - नियम 14 - स्थायी नहीं किए गए पद पर तीन साल से अधिक समय से परिवीक्षा पर काम कर रहे पटवारी - क्या पुष्टि का दावा कर सकते हैं, स्वत: पुष्टि का अनुमान - क्या लागू होता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब राजस्व पटवारियों, तृतीय श्रेणी सेवा नियम, 1966 के नियम 14(3) (ii) और (iii) की भाषा से यह स्पष्ट है कि नियम के उपनियम (1) का प्रावधान (सी) उपनियम (3) के खंड (बी) के प्रावधान को इस हद तक ओवरराइड करता है कि यद्यपि सेवा में किसी भी विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, और यद्यपि परिवीक्षा की पूरी अवधि किसी स्थायी पद पर व्यतीत नहीं की गई हो,

कोई भी पटवारी परिवीक्षा की अधिकतम अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भी स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकता है यदि उसे न तो किसी स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, और न ही जिस रिक्ति के लिए वह सेवा कर रहा है वह उसकी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में स्थायी हो गई है। यदि जिस रिक्ति पर एक पटवारी सेवा कर रहा है वह स्थायी हो जाती है, तो वह तीन साल की अवधि को पूरा करने के लिए स्थानापन्न क्षमता में एक अस्थायी रिक्ति के खिलाफ प्रदान की गई सेवा को भी मानने और परिवीक्षा की अधिकतम अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने पर नियम 14(3)(ए)(ii) के तहत पुष्टि का दावा करने का हकदार है।

नियम 14(1) के परंतुक (सी) में निहित विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के सामने, स्वचालित पुष्टि की धारणा उस पटवारी के मामले में लागू नहीं हो सकती है जो अस्थायी रिक्ति में तीन साल से अधिक समय तक कार्य करना जारी रख सकता है। (पैरा 8).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि अनुलग्नक 'ए' में शामिल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित 23 दिसंबर, 1967 के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।

बलदेव सिंह खोजी. याचिकाकर्ता के लिए वकील।
उत्तरदाताओं की ओर से नौबत सिंह, जिला अटॉर्नी, (हरियाणा)।

निर्णय

न्यायमूर्ति नरूला-हरियाणा राज्य में सेवारत पटवारियों द्वारा केवल उम्मीदवारी में बदलने के आदेश के खिलाफ दायर सात संबंधित रिट याचिकाएं (संख्या 69, 72, 421, 1178, 1179 और 1968 की 1223, और 1969 की 2110) का इस सामान्य निर्णय से निपटारा किया जा रहा है, क्योंकि याचिकाएं दाखिल करने से संबंधित प्रासंगिक तथ्य बहुत समान हैं और इन सभी मामलों में उत्तर दिए जाने वाले कानून के प्रश्न भी समान हैं। छोटे लाल के मामले (सिविल रिट 72, 1968) के तथ्य, जो इस निर्णय द्वारा निपटाए गए मामलों में से स्वीकार किया जाने वाला पहला मामला था, पहली नज़र में देखा जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता का नाम पटवारी अभ्यर्थियों के रजिस्टर में अंकित है। 11 फरवरी 1958 को उन्हें कार्यवाहक पटवारी नियुक्त किया गया। एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण 2 मई, 1962 को उन्हें उम्मीदवारी से वापस कर दिया गया। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को रद्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को 10 जून, 1964 को पटवारी के रूप में बहाल कर दिया गया (रिट याचिका में दी गई प्रासंगिक तारीखों के बीच कलेक्टर द्वारा लिखित बयान में दी गई तारीखों की तुलना में कुछ अंतर है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि कलेक्टर के

लिखित बयान में उल्लिखित तारीखों को इस रिट याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से सही माना जाना चाहिए। इसलिए, मेरे द्वारा ऊपर दी गई तारीखें राज्य के रिटर्न में उल्लिखित हैं)। इसलिए, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता ने तब तक पटवारी के रूप में कार्य करना जारी रखा जब तक कि उसे 23 दिसंबर, 1967 के विवादित आदेश (रिट याचिका के अनुबंध 'ए') द्वारा उम्मीदवारी में वापस नहीं कर दिया गया।

(3) आक्षेपित आदेश द्वारा गुड़गांव जिले में पटवारियों की 39 पोस्टिंग और स्थानांतरण अधिसूचित किए गए थे। उनमें से 21 का परिणाम उलट गया। उस क्रम में क्रमांक 39 पर याचिकाकर्ता छोटेलाल का नाम है। उनकी रिट याचिका 8 जनवरी, 1968 को दायर की गई थी। मोशन बेंच (न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर और डी.के. महाजन) ने 9 जनवरी, 1968 को याचिका स्वीकार करते हुए प्रत्यावर्तन आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। रघबीर पार्षद का नाम, जिन्होंने 1968 की सिविल रिट 69 दायर की; उसी दिन (जनवरी 8, 1968), आक्षेपित क्रम में क्रमांक 27 पर आता है। किशन चंद (सिविल रिट 421/1968 में याचिकाकर्ता) का नाम इसी क्रम में क्रमांक 24 पर है।शेष चार रिट याचिकाओं में से तीन उपायुक्त, गुड़गांव के 16 मार्च, 1968 के आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, उस आदेश की प्रति उन प्रत्येक याचिका में अनुलग्नक 'ए' के रूप में दायर की गई है (1968 की सिविल रिट 1178, 1179, और 1223)। 1969 की सिविल रिट 2110, कलेक्टर, गुड़गांव, दिनांक 13 अगस्त, 1969 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। राम भजन की याचिका (1968 की सिविल रिट 1178) को पहले की दो याचिकाओं (1968 की सिविल रिट 69 और 72) के साथ सुनने का निर्देश दिया गया था और उसके बाद की याचिकाएँ पिछले मामलों से जुड़ी हुई थीं।प्रत्यावर्तन के आक्षेपित आदेशों के क्रियान्वयन पर सभी मामलों में अंतरिम रोक लगा दी गई थी। रघबीर पार्षद (1968 का सिविल रिट 69) के मामले को छोड़कर, इन मामलों के प्रासंगिक तथ्यों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है, जिसे अलग से निपटाया जाएगा। सभी सात मामलों में संबंधित तारीखें उन मामलों में दायर संबंधित लिखित बयानों में दी गई हैं जिन्हें याचिकाकर्ताओं के वकील ने सही माना है।

(4) सभी सात मामलों में लिखित बयान लगभग समान शर्तों में दर्ज किए गए हैं, प्रत्यावर्तन के आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय संबंधित याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा में

बनाए रखने के मामले में कथित भेदभाव के संबंध में प्रासंगिक तिथियों और विशिष्ट आरोपों के उत्तरों के विवरण में अंतर को छोड़कर। रिट याचिकाकर्ता द्वारा केवल एक मामले में, यानी 1968 के सिविल रिट 69 में प्रतिकृति दायर की गई है, और इसीलिए इसे अलग से निपटाया जा रहा है।

(5) इन सभी याचिकाओं में दिया गया सामान्य तर्क यह है कि आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि वे (संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन हैं, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता पंजाब राजस्व पटवारियों, तृतीय श्रेणी सेवा नियम, 1966 (इसके बाद इसे 1966 नियम कहा जाएगा) का नियम 14 के संचालन से स्थायी पटवारी बन गए हैं, और, इसलिए, उनका प्रत्यावर्तन रैंक में कमी के समान है, यदि सेवा से हटाया न जाए। याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति के समय, वे पंजाब भूमि रिकॉर्ड मैनुअल के अध्याय 3 में निहित नियमों द्वारा शासित थे। इस फैसले के दौरान, मैं उन नियमों को "पुराने नियम" के रूप में संदर्भित करूंगा। पुराने नियमों के नियम 3.11 (1) के तहत पटवारियों की नियुक्ति कलेक्टर के पास थी, नियम 3.11 के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी सर्कल में पटवारी का पद अस्थायी या स्थायी रूप से, अभ्यर्थियों के रजिस्टर से चयन द्वारा भरा जाना था। उप-नियम (3) हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है। नियम 3.11 के उप-नियम (4) में प्रावधान है कि उम्मीदवारों के रजिस्टर में प्रविष्टि की प्राथमिकता, या पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन कलेक्टर ,उस रिक्ति की परिस्थितियों और सर्कल के गांवों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी योग्य उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसे वह रिक्ति के लिए सबसे उपयुक्त मानता है। 1966 के नियमों के नियम 22 ने पुराने नियमों को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया। नियम 22 के प्रावधान में कहा गया है कि "निरस्त किए गए नियमों के तहत किया गया कोई भी आदेश या कार्रवाई इन नियमों (1966 नियमों) के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी।" 1966 के नियम उन नियमों (नियम 1(3)) के परिशिष्ट 'ए' में निर्दिष्ट पदों पर लागू होते हैं। नियम 3 में कहा गया है कि सेवा में नियमों के परिशिष्ट 'ए' में दिखाए गए पद शामिल होंगे।पटवारी अभ्यर्थियों की स्वीकृति की विधि नियम 4 में विस्तृत है। नियम 9 कलेक्टर को सेवा में नियुक्तियाँ करने का अधिकार देता है। नियम 10 (1) (ए) पटवारियों की नियुक्ति या तो सहायक पटवारियों में से पदोन्नति द्वारा या स्वीकृत पटवारी उम्मीदवारों में से सीधी नियुक्ति द्वारा, या राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा

की जाने का अधिकार देता है। पुराने नियमों के नियम 3.11 (4) के विपरीत नियम 11 में निर्देश दिया गया है कि पटवारी अभ्यर्थियों में से नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएंगी, जिस क्रम में उनके नाम पटवोरी अभ्यर्थियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। नियम 14 परिवीक्षा से संबंधित है। नियम से प्रासंगिक उद्धरण नीचे उद्धृत किया गया है:

(6) परिवीक्षा-(1) सेवा में नियुक्त व्यक्ति बने रहेंगे

यदि सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया जाता है तो दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा, और यदि अन्यथा भर्ती किया जाता है तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा:

उसे उपलब्ध कराया-

(ए) और (बी) * * * * * * *

(सी) सेवा में स्थानापन्न नियुक्ति की किसी भी अवधि को परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि के रूप में गिना जाएगा, लेकिन इस प्रकार कार्य करने वाला कोई भी सदस्य परिवीक्षा की निर्धारित अवधि पर पुष्टि का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो।

(2) * * * ** ****

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी -

(ए) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा है, -

(i) ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तारीख से पुष्टि करना, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया हो; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को स्थायी रिक्ति होने की तारीख से पुष्टि करना, यदि उसे किसी अस्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया हो; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति नहीं है, तो घोषणा करें कि उसने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(बी) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है-

(i) अपनी सेवाओं से मुक्ति,

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा कि परिवीक्षा की पहली अवधि की समाप्ति पर दिया जा सकता था:

बशर्ते कि परिवीक्षा की कुल अवधि विस्तार सहित, यदि कोई हो, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील यह है कि याचिकाकर्ताओं को स्वीकृत पटवारी उम्मीदवारों में से सीधी नियुक्ति द्वारा सेवा में भर्ती किया गया था, उन्हें नियम 14(1) के तहत दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना आवश्यक था, और भले ही उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा स्थानापन्न क्षमता में थी, नियम 14(1) का प्रावधान (सी) अधिकारियों को उनकी सेवा के उस हिस्से को परिवीक्षा अवधि से बाहर करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि सेवा में स्थानापन्न नियुक्ति के कारण परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि के रूप में गणना की जाएगी।इसी आधार पर छोटेलाल ने दावा किया है कि फरवरी, 1958 में सीधे भर्ती होने और 23 दिसंबर, 1967 तक कार्यवाहक क्षमता में काम करने के बाद, उन्हें स्थायी पटवारी बन गया माना जाना चाहिए जैसा कि उन्होंने सांविधिक परिवीक्षाधीन के रूप में स्थानापन्न क्षमता में परिवीक्षा की अधिकतम निर्धारित अवधि से अधिक, अर्थात तीन वर्ष से अधिक समय तक सेवा प्रतिपादित की हो। इस तर्क पर राज्य का उत्तर, जैसा कि कलेक्टर के रिटर्न में सामने आया है, तीन प्रकार का है, अर्थात्,

(i) कि याचिकाकर्ता 1966 के नियमों के लागू होने के बाद लगातार तीन साल तक सेवा में नहीं रहा है, क्योंकि उसे उन नियमों के लागू होने के दो साल से भी कम समय के भीतर 23 दिसंबर, 1967 को वापस करने का आदेश दिया गया था, जो जनवरी 7,1966 से लागू किए गए थे;

(ii) कि याचिकाकर्ता को कभी भी स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन वह अस्थायी स्टॉप-गैप रिक्तियों में कार्यरत था, और इसलिए, वह कभी भी परिवीक्षाधीन नहीं था, बल्कि केवल एक पटवारी उम्मीदवार था जो पटवारी के पद के विरुद्ध कार्य कर रहा था। पूर्णतः अस्थायी आधार; और

(iii) याचिकाकर्ता को स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया है, उसे केवल वरिष्ठता के आधार पर वापस कर दिया गया है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान उसके मामले पर लागू नहीं होते हैं।

(7) कलेक्टर के हलफनामे में दिए गए बयानों की सत्यता पर रघबीर पार्षद (1968 के सिविल रिट 69 में याचिकाकर्ता) को छोड़कर किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जवाबी हलफनामे के माध्यम से विवाद नहीं किया गया है।

(8) हरियाणा राज्य के विद्वान वकील श्री नौबत सिंह, ऊपर उल्लिखित तीनों बचावों को लागू करने के लिए दबाव डालते हैं। उनका पहला तर्क श्री बी.एस. खोजी द्वारा श्री राम रतन पटवारी बनाम पंजाब राज्य और अन्य[1] में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर पूरा करने की मांग की गई है। उस मामले में यह माना गया था कि 1966 के नियमों के नियम 22 के प्रावधान के अनुसार, याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1966 के नियमों के नियम 11 और उनकी सेवा शर्तों के तहत की गई मानी जानी चाहिए, बावजूद इसके कि उनकी नियुक्ति 1966 से पहले हो चुकी है, और उनका निर्धारण 1966 के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा नियम 14 के प्रावधानों को उस तरीके से लागू किया गया है। राज्य के वकील का तर्क है कि सेवा में एकमात्र स्थानापन्न नियुक्ति जो एक पटवारी को पुष्टिकरण का दावा करने का अधिकार देती है, वह सेवा है जो एक स्थायी पद के विरुद्ध प्रदान की जाती है क्योंकि नियम 14(1) के प्रावधान (सी) में विशेष रूप से कहा गया है कि सेवा का कोई भी सदस्य जो स्थानापन्न है, परिवीक्षा की निर्धारित अवधि पूरी होने पर स्थायी होने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो।याचिकाकर्ता को स्थायी पद पर नियुक्त किये जाने के बारे में रिट याचिका में कोई कथन नहीं है। याचिकाकर्ता को स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में अस्थायी पदों पर नियुक्त किए जाने के बारे में अपने हलफनामे में कलेक्टर के बयान को छह मामलों में किसी भी प्रत्युत्तर या जवाबी हलफनामे में अस्वीकार नहीं किया गया है।मेरा मानना है कि नियम 14 के उप-नियम (1) का परंतुक (सी) नियम 14 के उप-नियम (3) के खंड (बी) के प्रावधान को इस हद तक खत्म कर देता है कि यद्यपि सेवा में किसी भी विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक,नहीं बढ़ाई जा सकती है और यद्यपि परिवीक्षा की पूरी अवधि किसी स्थायी पद पर व्यतीत नहीं की गई हो, परीवीक्षा की अधिकतम अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद भी एक पटवारी स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकता है, यदि उसे न तो स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, और न ही वह रिक्ति जिसके विरुद्ध वह

[1] 1967 एल.एल.टी. 127 (राजस्व नियम)।

सेवा कर रहा है, उसकी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में स्थायी हो गई है। यह नियम 14(3) (ii) एवं (iii) की भाषा से स्पष्ट है। यदि संबंधित रिक्तियां जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता सेवा कर रहे थे, स्थायी हो गई थीं, तो वे तीन साल की अवधि को पूरा करने के लिए स्थानापन्न क्षमता में एक अस्थायी रिक्ति के खिलाफ प्रदान की गई सेवा को भी मानने और नियम 14(3)(ए)(ii) परिवीक्षा की अधिकतम अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने पर पुष्टि का दावा करने के हकदार होते। लेकिन जिन सात मामलों से मैं इस फैसले में निपट रहा हूं उनमें से छह में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि संबंधित पटवारियों में से कोई भी अपने प्रत्यावर्तन के समय भी स्थायी रिक्ति के खिलाफ काम कर रहा था। नियम 14(1) के परंतुक (सी) में निहित विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के सामने, पंजाब राज्य बनाम धर्म सिंह[2] में संदर्भित स्वचालित पुष्टि की धारणा, एक पटवारी के मामले में लागू नहीं हो सकती है जो अस्थायी रिक्ति में तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्य करना जारी रख सकता है। चूंकि मैं कलेक्टर के कथन को सही मान रहा हूं कि इन सभी छह मामलों में, याचिकाकर्ताओं को समय-समय पर अस्थायी रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था, भले ही उन्हें ऐसी रिक्तियों के खिलाफ इस तरह से समायोजित किया गया था कि वे लंबे समय तक स्थानापन्न सेवा में बने रहें, मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि ये याचिकाकर्ता स्थायी पटवारी बन गए थे।ऐसा होने पर, रघबीर पार्षद (1968 का सिविल रिट 69) के मामले को छोड़कर, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का पहला तर्क विफल होना चाहिए। उस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट की अनुमति से जवाबी हलफनामा दायर किया है। उस जवाबी हलफनामे में इस बात से इनकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को केवल स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया गया था, और आगे यह भी कहा गया है कि उसके प्रत्यावर्तन के समय याचिकाकर्ता से कनिष्ठ अन्य व्यक्तियों को बड़ी संख्या में सेवा में रखा गया था, और उन व्यक्तियों की सेवा का रिकॉर्ड याचिकाकर्ता की सेवा से बेहतर नहीं था।याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिकृति के पैराग्राफ 6 में शपथ ली है कि उसे "एक नियमित स्थायी पद पर नियुक्त किया गया था और इस बात से इनकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को स्टॉप-गैप रिक्ति में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था।" उनके द्वारा आगे कहा गया है कि उनके प्रत्यावर्तन के समय हरि चंद और नूर मोहम्मद जैसे गैर-अनुसूचित जाति के पटवारियों को भी सेवा

[2] ए.आई.आर.1968 एस.सी. 1210.

में बरकरार रखा गया था। हालाँकि वह जवाबी हलफनामा बहुत पहले ही जनवरी, 1970 में दायर किया गया था, लेकिन कलेक्टर या उनकी ओर से किसी अन्य द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उपर्युक्त सामग्री बयानों में से किसी का विरोध करते हुए कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि अपने लिखित बयान पर हस्ताक्षर करते समय, कलेक्टर ने शायद रघबीर पार्षद के मामले में अंतर की सराहना नहीं की है। खंडन में किसी सबूत के अभाव में मैं यह मानता हूं कि उनके हलफनामे में दिए गए बयान सही हैं।ऐसा होने पर, रघबीर पार्षद ने स्थायी रिक्ति के खिलाफ आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले तीन साल से अधिक समय तक कार्य करना जारी रखा, यह माना जाना चाहिए कि धरम सिंह (2) (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार इसकी पुष्टि की गई है। चूँकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311(2) की आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना वापस कर दिया गया था, इसलिए उनके प्रत्यावर्तन को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(9) अन्य छह मामलों में याचिकाकर्ताओं को निलंबित करते समय कनिष्ठों को बनाए रखने के आरोप को राज्य द्वारा अपने रिटर्न में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और उन याचिकाकर्ताओं द्वारा नामित प्रत्येक व्यक्ति को बनाए रखने के कारणों को लिखित बयान में बताया गया है। मैं उन कारणों में कोई अमान्यता नहीं ढूंढ पा रहा हूं।

(10) उपरोक्त कारणों से रघबीर पार्षद की याचिका (1968 की रिट 69) की अनुमति दी जाती है, और शेष सभी छह याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं, हालांकि किसी भी मामले में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस निर्णय में कही गई कोई भी बात छह असफल याचिकाकर्ताओं के पटवारियों के रूप में सेवा में बने रहने या किसी विशेष तिथि से इस रूप में पुष्टि किए जाने के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी यदि यह पाया जाता है कि इस स्तर पर उन्हें फिर से वापस भेजने का कोई मामला नहीं बनता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा